क्रम-संख्या–164 (ख–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 17 अक्टूबर, 2023

आश्विन 25, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग–3

———

संख्या 1511/77-3–2023-139(एम)-2018

लखनऊ, 17 अक्टूबर, 2023

———

अधिसूचना

प0आ0–499

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है), की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार का यह समाधान हो गया है कि जिला आजमगढ़, तहसील –निजामाबाद स्थित ग्राम–पूरबपट्टी में 1.0027 हेक्टेयर, भूमि की, लोक प्रयोजनार्थ अर्थात् उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण अभिकरण द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण का अध्ययन किया गया था और उसने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत कर दी है जिसने दिनांक 18 सितम्बर, 2023 को उसकी संस्तुति को अनुमोदित कर दिया है।

3–संक्षेप में, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के संबंध में बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियाँ निम्नानुसार हैं :–

(क) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना एक पारंपरिक परियोजना है, जो किसी प्रभावित ग्राम में अधिकतम 120 मी0 चौड़ाई की भूमि पट्टी पर संचालित की जा रही है। इस प्रकार यह परियोजना, किसी ग्राम के अधिकांश अथवा कुल क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर रही है इसलिए इस परियोजना से विस्थापन नगण्य है।

(ख) यद्यपि इस परियोजना से संबंधित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना संभाव्य है किन्तु भूमि के सर्किल दर के चार गुना के बराबर के प्रतिकर से कृषकों को फार्मों का उन्नयन करने, फार्म मशीनरी में वृद्धि करने और सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी।

(ग) भूमि अर्जन के प्रतिकर से वैकल्पिक रोजगार के उपायों में विकास, बेहतर आवास निर्माण, परिवहन के साधनों तथा कृषि प्रौद्योगिकी में विकास होना संभाव्य है। इससे भू–धृतियों में ह्रास के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति होगी।

(घ) इस लम्बी दूरी वाली परियोजना से उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का राज्य की राजधानी लखनऊ से जुड़ने की सम्भावना होगी जिससे समय और लागत में कमी आयेगी और वाणिज्यिक क्रियाकलापों में सुधार होगा। इससे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों, फलों एवं सब्जियों तथा अन्य विनश्वर वस्तुओं को बड़े बाजारों तक ले जाने में सुविधा होगी और यह कृषि एवं सहबद्ध प्रयोजनों में सहायक होगा।

(ङ) तीव्र एवं बेहतर परिवहन साधनों की वृद्धि से पर्यटन, चिकित्सा परिचर्या और अंतर्राज्यीय परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा।

(च) अतएव, बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियाँ निम्नानुसार है :–

(एक) जिला आजमगढ़ में पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित करना लोक हित में है और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।

(दो) इस परियोजना की संभाव्य प्रसुविधाएं, सामाजिक व्यय एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों से अधिक है और अर्जित की जाने वाली कुल भूमि, इस परियोजना के लिये अपेक्षित कुल भूमि से अत्यन्त कम है।

4–समिति की उपरोक्त संस्तुतियों के सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना द्वारा प्रभावित क्षेत्र के लिए सर्किल दर का पुनरीक्षण, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग/कलेक्टर, आजमगढ़ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण किये जाने की प्रक्रिया, उक्त अधिनियम की धारा 26 में उल्लिखित है। उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यह भी उल्लिखित है कि निकटतम समीपस्थ क्षेत्र में स्थित समान प्रकार की भूमि के औसत विक्रय मूल्य का अवधारण, कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

5–इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है।

6–अतएव, राज्यपाल सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह अधिसूचित करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	आजमगढ़	निजामाबाद	निजामाबाद	पूरबपट्टी	156, 156	0.9068
					158	0.0120
					142	0.0070
					149	0.0619
					145	0.0150
					योग	**1.0027**

7–राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथा उपबन्धित तथा विनिर्दिष्ट रूप में, भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने, भूमि में प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण करने, किसी भूमि का समतलीकरण करने, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित समस्त कार्य करने के लिए कलेक्टर को प्राधिकृत करती हैं।

8–उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना को प्रकाशित किये जाने के पश्चात् 60 दिन के भीतर अपने क्षेत्र में भूमि अर्जन करने के विरूद्ध लिखित रूप में कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

9–उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन कोई व्यक्ति, ऐसी अधिसूचना को प्रकाशित किये जाने के दिनांक से भूमि अर्जन की कार्यवाहियां पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा उसका संव्यवहार अर्थात् विक्रय/क्रय नहीं करने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थल योजना कलेक्टर, आजमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1511 /LXXVII-3–2023-139(M) -2018, dated October 17, 2023 :

No. 1511 /LXXVII-3–2023-139(M) -2018

Dated Lucknow, October 17, 2023

Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the "said Act"), whereas the Government of Uttar Pradesh is satisfied that a total of 1.0027 Hectares of land is required in the village Purabpatti 1.0027 Hectares, Tehsil-Nizamabad, District Azamgarh for public purpose, namely Purvanchal Expressway Project through the Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority.

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency which submitted its recommendations to the Government of Uttar Pradesh which has approved its recommendations on September 18, 2023.

3. In brief, the recommendations of Multi Disciplinary Expert group regarding Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan is as follows:-

(a) Purvanchal Expressway is a linear project which is being run upon a land stretch in maximum 120 mt. width in any affected village. In this way, this project is not affecting major or total area of any village. So the displacement from this project is negligible.

(b) Though this project is likely to reduce the cultivable area in the concerned villages but compensation equal to four times of the circle rate of the land will help the farmers to upgrade the farms, increase the farm machinery and develop of irrigation facilities.

(c) The compensation of the land acquisition is likely to develop alternate employment measures, construction of better houses, development of means of transport and agriculture technology. This will compensate the loss due to reduction in land holdings.

(d) This long distance project is likely to connect the remote areas of Uttar Pradesh with the state capital Lucknow reducing the time and cost and improving the commercial activities. It will cause convenience in transporting milk and milk products, fruits and vegetables and other perishable items to big markets and this will help in agricultural and allied purposes.

(e) Growth of fast and better means of transport will help in development of tourism, medical attendance as well as interstate transport.

(f) Therefore, the recommendation of Multi Disciplinary Expert group is as follows:-

(i) It is in public interest to acquire land for the purpose of Purvanchal Expressway Project in District Azamgarh and it serves the public purpose.

(ii) The probable benefits from this project are more than the social expenditure and adverse Social Impact and total land to be acquired is much less than the total land required for this project.

4. In reference with the above recommendations of the committee, it is worthy to be noted that the revision of circle rate for the area effected by Purvanchal Expressway project will be done by Stamp and Registration Department/Collector, Azamgarh as per the stipulated procedure.

Procedure for determination of market value of land by Collector is mentioned in Section-26 of the said Act. It is also mentioned in clause (b) of sub-section(1) of the said Section, that average sale price for similar type of land, situated in the nearest vicinity area will be determined by the Collector.

5. No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project.

6. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below, is needed for public purpose:-

SCHEDULE

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired (in Hect.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Azamgarh	Nizamabad	Nizamabad	Purabpatti	156, 156	0.9068
					158	0.0120
					142	0.0070
					149	0.0619
					145	0.0150
					Total	**1.0027**

7. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig and do all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the said Act.

8. Under section 15 of the said Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

9. Under sub-section (4) of section 11 of the said Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE :– A site Plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Azamgarh.

By order,

ANIL KUMAR SAGAR,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 602 राजपत्र–2023–(1853)–599–50=649 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 4 सा0 औद्योगिक विकास–2023–(1854)–250 प्रतियाँ–(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
602 RPH 2023 (Audyogik Vikas Anubhg-3) (Bhoomi Arjan) data 8e